न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर
बइजलास अशोक कुमार, आर.ए.एस

प्रकरण संख्याः 14/2020/ आवेदन 136 एलआरएक्ट

1. हाकिम सिंह पुत्र भोपालसिंह जाति राजपुत निवासी गनौड़ा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

—प्रार्थी

ब ना म

1. राज्य सरकार जरिये : तहसीलदार, तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

— अप्रार्थी

आवेदन अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट

उपस्थिति—

1. श्री सुरेन्द्रसिंह विश्राम वकील प्रार्थी की ओर सें।

नि र्ण य　　　　दिनांक — **02.02.2021**

1. आवेदन पत्र के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 400, 444 लगायत 452 किता 10 कुल रकबा 14.19 है0 वाके ग्राम गनौड़ा पटवार हल्का गनौड़ा तह0 दांतारामगढ जिला सीकर अवस्थित है। उपरोक्त भूमिं में प्रार्थी का गलत नाम हरकिशोर सिंह पुत्र भोपालसिंह दर्ज है। सैटलमेन्ट कार्यवाही के समय सहवन से अथवा विभागीय कर्मचारियों की भूलवंश प्रार्थी का गलत नाम हरकिशोर सिंह पुत्र भोपालसिंह गलत रूप से दर्ज कर दिया गया जो कि आज दिवस तक प्रार्थी का उक्त गलत नाम दर्ज चला आ रहा है। ग्राम गनौड़ा में अन्य कृषि भूमिया खसरा नम्बर 382, 386, 387, 388, 396 में प्रार्थी का सही नाम हाकिम सिंह पुत्र भोपालसिह दर्ज है। प्रार्थी आवेदक के पहचान के दस्तावेज यथा परिवार राशन कार्ड आधार कार्ड नरेगा कार्ड व अन्य में प्रार्थी का सही नाम हाकिमसिंह पुत्र भोपालसिंह दर्ज है। उक्त नाम दुरूस्ती हेतु प्रार्थी ने सन् 2017 में भी राजस्व अधिकारियों के लिखित में मय दस्तावेज सबुत निवेदन किया था परन्तु आज दिवस तक उक्त दुरूस्ती नहीं की गयी है। उपरोक्त भूमियों में प्रार्थी का गलत नाम दर्ज होने के कारण प्रार्थी कई सरकारी सहायताओं से वंचित हो रहा है इसलिए उक्त कृषि भूमियों में प्रार्थी का सही नाम दर्ज किया जाना उचित व न्याय संगत है। वाद कारण असरा करीब 10—12 रोज पूर्व अप्रार्थी के अधीनस्थ कर्मचारियों व अधिकारियों द्वारा आवेदक का नाम दुरूस्त करने से इन्कार होने पर उत्पन्न हुआ जो कि क्षण—प्रतिक्षण निरन्तर रूप से चालू है। अतः आवदेन पेश कर अंत में यह इस्तदुआ चाही गई कि आवेदन स्वीकार किया जाकर विवादित भूमि खसरा नम्बर 400, 444 लगायत 452 किता 10 कुल रकबा 14.19 है0 वाके ग्राम गनौड़ा पटवार

उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ

हल्का गनौड़ा तह0 दांतारामगढ जिला सीकर में प्रार्थी का राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज नाम हरिकिशोरसिंह पुत्र भोपालसिंह के स्थान पर प्रार्थी का सही व वास्तिविक नाम हाकिमसिंह पुत्र भोपालसिह दर्ज किया जाकर तद्नुसार राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में संशोधन के आदेश पारित किया जावें।

2. आवेदन पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार दांतारामगढ से तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवाई गई। वकील प्रार्थी की बहस एकपक्षीय सुनी गई। बहस के दौरान आवेदन में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए आग्रह किया गया कि प्रार्थी का राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज नाम हरिकिशोरसिंह पुत्र भोपालसिंह के स्थान पर प्रार्थी का सही व वास्तिविक नाम हाकिमसिंह पुत्र भोपालसिह दर्ज किया जाकर तद्नुसार राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में संशोधन के आदेश पारित किया जावें।

3. बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी पर मनन किया तथा आवेदन पत्र में वर्णित तथ्यों का अवलोकन किया। तहसीलदार दांतारामगढ की रिपोर्ट का अधोपांत अवलोकन किया गया । तहसीलदार रिपोर्ट में अंकन किया गया है कि खसरा नम्बर 192 के सैटलमेन्ट के बाद बने नये खसरा नम्बर 400 444 से 452 किता 10 कुल रकबा 14.99 है0 में जमाबन्दी सम्वत 2051 में प्रार्थी का नाम हाकिमसिंह पुत्र भोपालसिंह के स्थान पर हरकिशोर पुत्र भोपालसिह सहवन से दर्ज जमाबन्दी में दर्ज हो गया। अतः श्रीमाजी ग्राम गनोड़ा के खसरा नम्बर 400, 444 से 452 में हरकिशोर सिह पुत्र भोपालसिंह के स्थान पर हाकिमसिंह पुत्र भोपालसिह जाति राजपुत किया जाना उचित है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तथा तहसीलदार रिपोर्ट के आधार पर स्पष्ट है कि प्रार्थी का आवेदन स्वीकार योग्य है। **प्रार्थी का आवदेन अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट रिकार्ड दुरूस्ती स्वीकार किया जाता है तथा भूमि खसरा नम्बर 400, 444 लगायत 452 किता 10 कुल रकबा 14.19 है0 वाके ग्राम गनौड़ा पटवार हल्का गनौड़ा तह0 दांतारामगढ जिला सीकर में दर्ज प्रार्थी का नाम हरकिशोरसिह पुत्र भोपालसिह के स्थान पर प्रार्थी का सही व वास्तिविक नाम हरकिशोरसिह उर्फ हाकिमसिंह पुत्र भोपालसिह दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। शेष जमाबंदी बदस्तूर रहे।** राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार दांतारामगढ को तहरीर जारी हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 02.02.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ